


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्रवण कुमार बनाम सरकार 382/16	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
30.10.17	<p>पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि हस्तगत प्रार्थना पत्र मुन्तकिली शैफाली कुसवा तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, बहरोड़ के विरुद्ध की गई है तथा शैफाली कुसवा तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, बहरोड़ का वर्तमान में अन्यत्र स्थानान्तरण हो चुका है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से प्रार्थना पत्र को चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र मुन्तकिली सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  (राजेश्वर सिंह) समाजीय आयुक्त, जयपुर। </p>	